

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

41
16 13

क्रमांक: प-14(25)जविप्रा/संस्था/05

दिनांक 25/5/09

:- कार्यालय आदेश :-

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना देने के क्रम में प्रार्थीगणों को संबंधित रिकार्ड जविप्रा में उपलब्ध नहीं है बाबत सूचित किया जाता है इस प्रकार की स्थिति को आयोग द्वारा गम्भीर माना गया है। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिये एवं रिकार्ड में संधारण हेतु एक ठोस कार्य योजना तैयार करने हेतु प्रशासन द्वारा आज्ञा क्रमांक: प-14(25)जविप्रा/संस्था/05 दिनांक 19.05.09 द्वारा निम्नानुसार एक कमेटी का गठन किया गया है:-

1. सचिव, जविप्रा, अध्यक्ष
2. अति.आयुक्त (प्रशासन), सदस्य, जविप्रा, जयपुर।
3. उप निदेशक (विधि) श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा, सदस्य, जविप्रा, जयपुर।

इस संबंध में दिनांक 26.05.09 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में 11.30 बजे एक बैठक का आयोजन किया गया है। कृपया बैठक में उपस्थित होने का श्रम करें।

(42) ✓
अति.आयुक्त (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (विधि), जविप्रा, जयपुर।
4. अति.आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा, उप निदेशक (विधि), जविप्रा, जयपुर।
6. लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर।
7. रक्षी पत्रावली।

(42) ✓
अति.आयुक्त (प्रशासन)